

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
बईजलास सुनील कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

श्री नीलकण्ठ महादेव स्थान शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा राजस्थान जरिये
प्रबंधक/पुजारी नन्द किशोर पिता मांगीलाल शर्मा निवासी बोरड़ा तहसील शाहपुरा जिला
भीलवाड़ा

— वादी

बनाम

1— तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा राजस्थान

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत दर्ज कराये जाने कुआ एवं घोषित कराये जाने स्वामी तथा गलतियों को
शुद्धि करने बाबत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 भू
राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर 27/2014 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व
.....X मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी
जाती है कि :-

वाद वादी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख
व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 30 माह 10 सन् 2025 को जारी की गई।



(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर, शाहपुरा